संख्या-87/2019/1818 ई-2 तेरह-2019-54/2009

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 नवम्बर, 2019

विषयः सूर्या रेस्टोरेन्ट एण्ड बार, अलीगढ़ मथुरा रोड, इगलास जनपद अलीगढ़ में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को संबोधित अपने पत्र संख्या-1342/जि0आ0अ0/अलीगढ़/ बार अनुज्ञापन, दिनांक 17.08.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति एवं इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-93/दस-लाइसेंस-21/एफ.एल.-6,7/बार अनु./सूर्या रेस्टोरेन्ट/अलीगढ़, दिनांक 03.08.2019 में की गयी संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त सूर्या रेस्टोरेन्ट एण्ड बार, अलीगढ़ मथुरा रोड, इगलास जनपद अलीगढ़ में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्शिमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रेहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति दी गयी शर्तों का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा। साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं हैंड हेल्ड मेटल डिटैक्टर से सुसज्जित सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-87/2019/1818(1) ई-2 तेरह-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-93/दस-लाइसेंस-21/एफ.एल.-6,7/बार अनु./सूर्या रेस्टोरेन्ट/अलीगढ़, दिनांक 03.08.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in